राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4258/2025

अर्जून लाल शर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 15.09.2025
सुनवाई की दिनांक : 03.10.2025
आदेश की दिनांक : 03.10.2025
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुनील कुमार सैनी, अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, (अध्यक्ष)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की नियुक्ति प्रारंभ में 20.09.1989 को कांस्टेबल ए.पी. के पद पर हुई थी। अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 7 पर अंकित है। (अनुलग्नक–1) दिनांक 05.05.1995 और 12.06.1995 के आदेश द्वारा, प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को निंदा दंड की सजा सुनाई। (अनुलग्नक–2 व 3) उपरोक्त निंदा के कारण प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को 18 और 27 वर्ष की सेवा का लाभ विलम्ब से दिया, अतः अपीलार्थी का वेतन विसंगति से ग्रस्त है। अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन किया था, जिसका प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को अपूर्ण उत्तर दिया। (अनुलग्नक–4) अन्य समान स्थिति वाले व्यक्ति अपीलार्थी को अधिक वेतन प्रदान करते हैं। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन दिया और प्रत्यर्थी विभाग को कर्मचारी वेतन पर्चियाँ प्रदान कीं तथा वेतन विसंगति के समाधान का अनुरोध किया, लेकिन प्रत्यर्थी विभाग ने इस पर ध्यान नहीं दिया। (अनुलग्नक–5) अपीलार्थी के साथ नियुक्त कर्मचारी अर्थात् भेरू लाल एचसी 236, अशोक कुमार एचसी 416, अजयराज सिंह एचसी 1243, अनीता कुमारी एमएफसी 1232, अपीलार्थी से अधिक वेतन प्राप्त करते हैं। (अनुलग्नक–6) प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी के कई अभ्यावेदनों का भी जवाब नहीं दिया, इसलिए प्रतिवादियों का यह कृत्य प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है। कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार ने दिनांक 22.10.2024 को एक परिपत्र जारी किया।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि वेतन विसंगति को हल करने और अपीलार्थी का वेतन उसकी पात्रता की

तारीख से तय करने और न्याय के व्यापक हित में उसकी पात्रता की तारीख से 18 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज के साथ बकाया राशि का भुगतान कराया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपीलों के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष